

सुरोगेसी वधियक (नयिमन), 2016 में आधकिरकि संशोधन

चरुचर में कयों?

प्रधरनमंत्री नरेंद्र मोदी की अधयकषतर में केंदरीय मंत्तरमिंडल ने सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में आधकिरकि संशोधन हेतु सुवीकृत दी है। सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में भरत में राष्ट्ररीय स्तर पर राष्ट्ररीय सुरोगेसी बोरुड, ररुज्यों और केंदरशरसति प्रदेशों में ररुज्य सुरोगेसी बोरुड तथर उचति प्ररधकिरण स्थरपति करके सुरोगेसी को नयिमों के दरयरे में लरने कर प्रस्ताव कयि गर है।

प्रमुख बदि

- प्रस्तावति वधियक में सुरोगेसी कर कररगर नयिमन, वरणजियकि सुरोगेसी नषिध तथर प्रजनन कषमतर से वंचति भरतीय दंपतयियों को परोपकररी सुरोगेसी की अनुमत सुनश्चिति की गई है।
- इस वधियक के संसद दररर पररति होने के बरद राष्ट्ररीय सुरोगेसी बोरुड कर गठन कयि जररग। केंदर सरकर दररर अधसूचनर जररी कयि जरने के तीन महीने के भीतर ररुज्य और केंदरशरसति प्रदेश ररुज्य सुरोगेसी बोरुड और ररुज्य कर उचति प्ररधकिरण गठति करेंगे।

इसकर प्रभरव कयर हुरुग?

- इन संशोधनों के प्रभरवी होने पर यह अधनयिम देश में सुरोगेसी (कररिए की कोख) सेवरओं कर नयिमन करेगर, सुरोगेसी में अनैतिकि वयवहरों को नयितरति करेगर, कररिए की कोख कर वरणजियकिकरण रोकेंगर और सुरोगेसी से मरं बनने वरली महलरओं एवं सुरोगेसी से पैदर होने वरले बचुओं कर संभरवति शोषण रोकेंगर।
- वरणजियकि सुरोगेसी नषिध में मरनव भरूण तथर युगमक की खरीद और बकिरी जैसे पकषों को शरमलि कयि गर है।
- इसके अतरकिरित प्रजनन कषमतर से वंचति दंपतकी आवश्यकतर को पूरर करने के लयि नश्चिति शरतों को पूरर करने पर तथर वशिष उद्देश्यों के लयि नैतिकि सुरोगेसी की भी अनुमत दी जररगी।
- इससे नैतिकि सुरोगेसी सुवधि के इच्छुक प्रजनन कषमतर से वंचति वविहति दंपतयियों को लरभ हुरुग।
- इसके अतरकिरित सुरोगेसी से मरतर बनने वरली महलरओं और सुरोगेसी से जन्म लेने वरले बचुओं के अधकिरों की भी रकषर की जररगी।
- यह वधियक जम्मू और कश्मीर ररुज्य को छोड़कर पूरे भरत में लरगू हुरुग।

पृष्ठभूमि

- वभिन्न देशों से दंपत भरत आते हैं और भरत सुरोगेसी केंदर के रूप में उभरर है। लेकनि अनैतिकि वयवहरों, सुरोगेसी प्रकरयि से मरतर बनने वरली महलरओं कर शोषण, सुरोगेसी प्रकरयि से जन्म लेने वरले बचुओं कर परतियरग और मरनव भरूण तथर युगमक लेने में बचौलयियों की धोखरधड़ी की घटनाएँ चतिरजनक हैं।
- भरत के वधिआयुग की 228वीं रपिरुट में वरणजियकि सुरोगेसी के नषिध और उचति वधियी कररु दररर नैतिकि परोपकररी सुरोगेसी की अनुमतकी सफिररशि की गई है।
- सुरोगेसी (नयिमन) वधियक 21 नवंबर, 2016 को लोकसभर में पेश कयि गर, जरसि 12 जनवरी, 2017 को सुवरस्थय एवं परवरर कल्यरण मंत्तरलय दररर संसद की स्थरयी समति को भेजर गर।
- संसद की स्थरयी समति दररर हतिधररकों, केंदर सरकर के मंत्तरलय/वभिगों, सुवरयसेवी संगठनों, चकिरिसर कषेत्तर के पेशेवर लुरुगों, वकीलों, शोधकररुत्तरओं, परवररुत्तक अभभरवकों तथर सुरोगेसी से मरतर बनने वरली महलरओं के सध वचिर-वमिरुश कयि गर और उनके सुझरव प्रररुत कयि गर।
- सुवरस्थय एवं परवरर कल्यरण मंत्तरलय से संबंधति संसद की स्थरयी समति की 102वीं रपिरुट ररुज्यसभर और लोकसभर में एक सध 10 अगस्त, 2017 को पटल पर रखी गई।

सुरोगेसी कयर है?

- सुरोगेसी एक महलर और एक दंपत के बीच कर एक समझौतर है, जो अपनी सुवरय की संतरन चरहतर है।
- सरमरनय शबुदों में सुरोगेसी कर अरुथ है क शिशु के जन्म तक एक महलर की 'कररिए की कोख'। प्ररर: सुरोगेसी की मदद तब ली जरती है जब कसिी दंपत को बचुे को जन्म देने में कठनरई आ रही हो।
- बर-बर गरुभरपत हो रहर हो यर फरर बर-बर आईवीएफ तकनीक असफल हो रही हो। जो महलर कसिी और दंपत के बचुे को अपनी कोख से जन्म देने को तैयर हो जरती है उसे 'सुरोगेट मदर' कहर जरतर है।
- भरत में सुरोगेसी कर खरुचर अनय देशों से कई गुनर कम है और सध ही भरत में ऐसी बहुत सी महलरएँ उपलब्ध हैं जो सुरोगेट मदर बनने को आसरनी से

तैयार हो जाती हैं।

- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल तो होती ही है, साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुवधा कुछ वशिष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लिनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दशा-नरिदेशों पर अमल करती हैं।

सरोगेसी बलि, 2016

- वर्ष 2002 से लागू सरोगेसी बलि के बाद सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान था, लेकिन यह प्रतर्बिध केवल वदिशी सरोगेसी पर लगाया गया था। पहले कुछ अस्पताल ऐसी महिलाओं के संपर्क में रहते थे, जो पैसे लेकर किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार होती हैं।
- इस व्यापारिक धंधे को नयित्रण में लाने के लिये केंद्र सरकार ने सरोगेसी का नया बलि पेश किया था, जिसके अनुसार सरोगेट मदर को पहले से ही शादीशुदा होना और एक बच्चे की माँ होना भी ज़रूरी था।
- सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसके संपर्क में रह सकती थी। साथ ही अववाहति दंपति, एकल माता-पति, लवि-इन पार्टनर और समलैंगिक लोगों को सरोगेसी सेवाएँ न देने का प्रस्ताव था।
- 2016 के बलि के अनुसार, दंपति के लिये खुद को प्रसव के लिये अक्षम साबति करना और भारतीय होना अनवार्य था। सरोगेट माँ को दंपति का करीबी रशितेदार होना भी ज़रूरी था।
- दंपति की शादी को कम-से-कम 5 साल पूरे हुए हों और पत्नी की उम्र 25 से 50 साल तथा पति की उम्र 26 से 65 तय की गई थी। स्वास्थ्य को प्राथमकता देते हुए सरोगेट मदर की उम्र 25 से 35 साल तय की गई थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-moving-official-amendments-in-the-surrogacy-regulation-bill-2016>

